वादी 15.4.14 को 20 दि

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

15.4.14 वादी अधिवक्ता द्वारा तथा हेतु इस समय तक अंतिम अवसर दिया गया जिसे वादी गैरहाजिर लगातार पेशी से वादी नहीं होने वाली CO 30.4.14 को पेश हो।

30.4.14 वादी पक्षकारों पेश हुई वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता के अनेकों बार बार अवसर एवं आवाज लगाने पश्चात उपस्थित नहीं हुआ है प्रा0 अ0 अधिवक्ता अपना पत्रावली अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल इस बोल नहीं के आधार पर तकनीकी कारण बताया खारिज किया है। निर्णय अलग से 30.4.14 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner